25/8/25 आज यह पत्रावली वास्ते आदेश
हेतु पेश की गयी। वकील कार्तिकेय उप०
उ० पस्थ। पत्रावली का अध्ययन किया
गया। प्रार्थी का प्रा० पत्र स्वीकार
किया जाता है। विस्तृत निर्णय

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बह

लिखवाया जाकर शा० मि० किया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]रोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी – रामकिशोर मीना–II (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना न0 :– 27/2024
दायर दिनांक :– 21 .06.2024
निर्णय दिनांक :– 25.08.2025

उनवान

1. वेदप्रकाश पुत्र रामप्रसाद जाति चमार निवासी बहरोड़ वार्ड न0 27 मौहल्ला इन्द्रा कालोनी तहसील बहरोड जिला–कोटपूतली– बहरोड। ......प्रार्थी

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र हरनारायण जाति चमार निवासी बहरोड वार्ड नम्बर 14 मौहल्ला चौबियान तहसील बहरोड।
2. सरजीत सिंह यादव पुत्र रामपत यादव जाति अहीर निवासी बहरोड़।
3. शेरसिंह यादव पुत्र रामपत यादव जाति अहीर निवासी बहरोड़।
4. विरेन्द्र सिंह पुत्र रामपत यादव जाति अहीर निवासी बहरोड़।
5. राजू यादव पुत्र हरफुल सिंह यादव जाति अहीर निवासी बहरोड़ तहसील बहरोड़।
6. अनिल कुमार यादव पुत्र हरफूलसिंह यादव जाति अहीर निवासी बहरोड़ मोहल्ला नैनसुख तहसील बहरोड़।
7. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बहरोड़ तहसील बहरोड। .....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत करवाये जाने पत्थरगढी मुताबिक पैमाईश

उपस्थित :–

1. श्री दाताराम यादव अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री विक्रम सिंह यादव अधिवक्ता अप्रार्थी।

–: निर्णय :–

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हमारे समक्ष पेश हुई। फरीकेन के वकुलाय उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। आराजी खसरा नम्बर हाल 923 रकबा 0.22 हैक्टेयर वाके ग्राम बहरोड तर्फ नैनसुख पटवार हल्का बहरोड तर्फ गंगाबिशन तहसील बहरोड मन प्रार्थी एवं अन्य की अविभाजित सह खातेदारी की आराजी है। बहैसियत सह खातेदारी मन प्रार्थी का उक्त आराजी प्रत्येक इंच भाग पर खातेदारी कब्जा का अधिकार है। और सह खातेदारी के अधिकार के अन्तर्गत के अर्न्तत न प्रार्थी को उकत आराजी के प्रत्येक इंच भाग की रक्षा करने सुरक्षा करने का अधिकार अन्य के अतिक्रमण को रोकने का अधिकार है एवं अन्य के अतिक्रमण को हटने , हटवाने का अधिकार है। मन प्रार्थी का पद सं० 1 में वर्णित आराजी का पडोसी आराजी खसरा नम्बर 928 रकबा 0.25 हैक्टेयर वाकै ग्राम बहरोड तर्फ नैनसुख का खातेदार अप्रार्थी सं० 1 मोहनलाल पुत्र स्व० हरनारायण जाति चमार निवासी बहरोड वार्ड नं0 15 मौहल्ला चौबियान तहसील बहरोड के नाम रिकार्ड दर्ज है। तथा उक्त वर्णित आ० ख० नं0 928 रकबा 0.25 हैक्टेयर वाकै ग्राम बहरोड तर्फ नैनसुख पर कब्जा अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 का काफी सालो से चला आ रहा है। तथा अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 ही उपरोक्त आराजी की बाह जोत करते आ रहे है। तथा अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 ही मन प्रार्थी की आराजी ख० नं० 923 की तरफ पश्चिम की डोल को काटते हुये करीबन 4–5 फुट मन प्रार्थी की आराजी के अन्दर घुस

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

गये है। और अब भी अप्रार्थी सं० 2 लगायत 6 मन प्रार्थी की आराजी ख० नं0 923 की तरफ पश्चिम की डोल थोडी थोडी काटते की कौशिश करते रहते है। जिनको मना करने पर गाली गलोच करते है और लडाई झगडा करने पर आमादा फिसाद रहते है। अप्रार्थी सं० 2 लगायत 6 यादव जाति के लोग है तथा कुटुम्जन वाले व्यक्ति है तथा लठेत है। जिनसे अतिक्रमण छुटवाना बडा मुश्किल है। प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 923 के तरफ पश्चिम में अप्रार्थी सं० 1 की आराजी खसरा नम्बर 928 है एवं दोनो आराजीयात के तरफ पूर्व को डोल से लगता मन प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 923 हैअप्रार्थी सं० 2 लगा 6 द्वारा मन प्रार्थी के खसरा नमबर 923 की पश्चिमी डोल से छेड छाड की जाकर डोल को काट–काट कर मन प्रार्थी की आराजी के अन्दर करीबन 4–5 फुट अन्दर घुस गये है। एवं मन प्रार्थी की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया एवं रास्ता की भूमि पर भी अतिक्रमण कर रास्ता की भूमि मन प्रार्थी एवं आर्थीगण के मध्य आराजी की डोलो को ठीक करने के बाबत विवाद हुआ तो अप्रार्थीगण अपने कुटुम्बीजनो को साथ लेकर मन प्रार्थी के साथ आमादा–फिसाद हो गये। मन प्रार्थी द्वारा तहसीलदार बहरोड के समक्ष पैमाईश हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा पैमाईश तो की गयी लेकिन डोलो को ठीक नहीं करवाया गया, ना ही अप्रार्थीगण के अतिक्रमण को हटवाया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 22.05.2024 ना तो स्पष्ट है ना ही सार निकलता है कतई गूंगी रिपोर्ट है। पटवारी हल्का द्वारा पत्थर गढी करवाने से इन्कार कर दिया। यदि मन प्रार्थी मौके पर स्वयं मौके पर स्वयं पत्थर गढी करने का प्रयास करेगा तो मौके पर शान्ति भंग होने, खून खराबा होने का अन्देशा है। प्रार्थना–पत्र के पद सं० 1 मे मन प्रार्थी की आराजी एवं पद सं0 2 मे अप्रार्थी सं० 1 की आराजीयात एव दोनो आराजीयात के मध्ये रास्ता को विधि अनुसार पैमाईश, खागबन्दी करवाई जा कर मौके पर पत्थर गढी करवाया जाना आवश्यक, न्यायोचित है ताकि उक्त आराजी की डोलो को लेकर विवाद समाप्त हो सके एवं शान्ति भंग ना हो सके। 10. यह है कि आराजी मुतनाजा ग्राम बहरोड तर्फ नैनसुख तहसील बहरोड मे स्थित है। जो न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में आती है इसलिए प्रार्थना पत्र श्रवण करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान् को है।

अतः माननीय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जा कर आराजी खसरा नम्बर हाल 923 रकबा 0. 22 हैक्टेयर एंव इसके पश्चिम मे रास्ता डोल एवं रास्ता डोल से लगता खसरा नम्बर 928 वाकै ग्राम बहरोड तर्फ नैनसुख पटवार हल्का बहरोड तर्फ गंगाबिशन तह० बहरोड की विधि अनुसार पैमाईश, खागबन्दी, पत्थरगढी करवाये जाने की कृपा करे एंव खागबन्दी, पत्थरगढी के समय मन प्रार्थी को पुलिस प्रोटक्सन दिये जाने की कृपा करे। एवं अप्रार्थी 1 लगायत 6 को आदेशित किया जाये कि मौके पर की गई खागबन्दी, पत्थरगढी से अप्रार्थी सं० 1 लगायत 6 किसी प्रकार की छेड छाड नहीं करे। नहीं हटावे बाज आवे। आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी नम्बर 01 ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 923 रकबा 0.22 हैक्टेयर वाके ग्राम बहरोड तर्फ नैनसुख की पत्थर गढी ,खागबन्दी करवायी जाने की कृपा करे एवं अन्य अप्रार्थी द्वारा अपना जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 923 रकबा 0.22 हैक्टेयर वाके ग्राम बहरोड तर्फ नैनसुख पटवार हलक बहरोड़ तर्फ गंगाबिशन तहसील बहरोड में सिथत है। बाकि इस भूमि में मौके पर वेदप्रकाश पुत्र रामप्रसाद जाति चमार निवासी बहरोड वार्ड न. 16 की खातेदारी की भूमि तो है परन्तु इस जिमन में यह अंकित नही किसया कि उनका कितना हिस्सा है साथ ही सहखातेदारी की भूमि की अन्य सहखातेदारी न की मर्जी के बिना पैमाईस किया जाना संभव नही ह ना ही पत्थर गढी ही करवायी जा सकती है। हम अप्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 923 वाके ग्राम बहरोड तरफ नैनसुख की पश्चिमी मेड को कभी भी नही तोडा यहा यह भी निवेदन है कि खसरा नम्बर 923

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

पर हम प्रार्थीगण काबिज भी नही है। खसरा नम्बर 923 के खातेदारान को पक्षकारा बनाकर व उनहे सुनवाई का अवस प्रदान किये बिना न्यायालय श्रीमान के समक्ष यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। खारिज किया जावे।

हमने प्रार्थी के वकील की बहस सुनी तथा पत्रावली का अध्ययन किया तथा विद्ववान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी संवत 2074–2077 में आराजी खसरा नम्बर 923 रकबा 0.22, वाकै ग्राम बहरोड तरफ नैनसुख में प्रार्थी 1/5 हिस्सा का खातेदार दर्ज है। व खसरा नम्बर 928 रकबा 0.25 है0 वाकै ग्राम बहरोड तरफ नैनसुख में अप्रार्थी संख्या 01 मोहनलाल 1/8 हिस्सा का खातेदार दर्ज रिकोर्ड है। प्रार्थी उक्त आराजी की पैमाईश व पत्थरगढी करवाना चाहता है। उपरोक्त विवादित आराजी में प्रार्थी के खातेदार काश्तकार है। तत्पश्चात प्रार्थी आराजी का खातेदार होने तथा खातेदार अपनी आराजी की पैमाईश व पत्थरगढी करवा सकता है। मौजूदा प्रकरण में प्रार्थी द्वारा तहसीलदार बहरोड से दिनांक 07.05.2024 को पैमाईश करवाई गई है। उक्त पैमाईश रिपोर्ट के आधार पर ही प्रार्थी पत्थरगढी करवाना चाहता है। जिस सूरत में पत्थरगढी करवाया जाना विधिक है।

–: आदेश :–

अत प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बहरोड़ को निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 923 रकबा 0.22, वाकै ग्राम बहरोड तरफ नैनसुख तहसील बहरोड़ कि पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 07.05.2024 के आधार पर सभी पक्षकारो की उपस्थिती में पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त आदेश किसी प्रकार के कब्जा हस्तानान्तरण हेतु मान्य नही है। पालना हेतु अहकाम बनाम तहसीलदार जारी हो।

आज दिनांक 25.08.2025 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकिशोर मीना–II)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड (कोटपूतली–बहरोड